



क्रमांक 724 /बै.प्र./स्थायी समिति/ 2023


बिलासपुर, दिनांक : 16.10.2023

॥ कार्यालयीय ज्ञाप ॥

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 25.11.2021 में विद्यापरिषद द्वारा अपने सदस्यों में से 04 सदस्यों का नामांकन विद्यापरिषद की स्थायी समिति में किया गया था। डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल, सह-आचार्य, सिविल वाणिज्य विभाग की पदोन्नति आचार्य, वाणिज्य विभाग में होने के कारण एक स्थान रिक्त हो गया है। कुलपति महोदय द्वारा डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल सह-आचार्य, वाणिज्य विभाग के स्थान पर डॉ० बबीता मांझी, सह-आचार्य, संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी का नामांकन विद्यापरिषद की स्थायी समिति में सदस्य के रूप में किया गया है।

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल विद्यापरिषद के कार्यकाय के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव (कार्यवाहक)

पू० क्रमांक 725/बै.प्र./2023

बिलासपुर, दिनांक : 16.10.2023

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. उपरोक्त विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


कुलसचिव (कार्यवाहक)